

फर्द अहकाम

(नियम 26)


अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

ओमप्रकाश पिता मदनलाल महाजन नि. भरणीकलां

बनाम

हीरा लाल पिता भीमडा मीणा नि. भरणीकलां वगैरा

किस्म मुकदमा प्रा0 पत्र 111, 128 एल. आर. ए. मुकदमा नं. 162/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुय
16.03.22	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम भरणीकलां पटवार हल्का भरणीकलां तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1111/1 रकबा 0.6480 हैक्टयर, आ.न. 1127 रकबा 0.3132 हैक्टयर, आ.न. 1130 रकबा 0.3564 हैक्टयर, आ.न. 1149 रकबा 0.2268 हैक्टयर स्थित है। उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी अप्रार्थीगण है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से पत्थरगढी किये जाने वाली भूमि प्रार्थी के स्वामित्व की हैं। पडौसियान के विवाद करने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा भूमि ग्राम भरणीकलां पटवार हल्का भरणीकलां तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 1111/1 रकबा 0.6480 हैक्टयर, आ.न. 1127 रकबा 0.3132 हैक्टयर, आ.न. 1130 रकबा 0.3564 हैक्टयर, आ.न. 1149 रकबा 0.2268 हैक्टयर की बसामलात पडौसियान के पत्थरगढी करने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक रोपां को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500— रु. तय किये जाते है। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शिघ्र प्रस्तुत करे।</p> <p>आदेश आज दिनांक 16.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;"> उपखण्ड अधिकारी, जहाजपुर(भीलवाडा)</p>	